भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/55/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक 21.03.2026

प्रारंभिक जांच परिणाम

अधिसूचना

मामला सं. एडी(ओआई)-48/2025

विषय :बांग्लादेश, चीन जन.गण., और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म" ("पीईटी फिल्म") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/55/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम,1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली") को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने बांग्लादेश, चीन जन.गण., थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" या "पीईटी फिल्म" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया। आवेदन-पत्र के अनुसरण में,

दो अन्य घरेलू उत्पादकों, अर्थात् यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने क्षति की अवधि और लागत की सूचना प्रस्तुत की और घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में विचार करने का अनुरोध किया।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया कि घरेलू उद्योग को बांग्लादेश, चीन जन.गण., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है और ऐसे देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। तथापि, प्रथम दृष्टया जांच पर, प्राधिकारी ने नोट किया कि ताइवान से हानिकारक आयात की मात्रा नगण्य थी और ताइवान से आयात की जांच शुरू करना उचित नहीं पाया।

3. तदनुसार, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनज़र, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए तथा घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार बंगलादेश, चीन जन.गण., थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2025 की अधिसूचना सं. 6/55/2025-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

4. इसके अलावा, जाँच के दौरान, घरेलू उद्योग ने यह बताया कि यूएसए से संबंधित वस्तुओं का आयात काफी कम कीमत पर किया जा रहा था, क्योंकि इसमें स्टॉक-लॉट या बचा हुआ स्टॉक शामिल था। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया कि इस तरह का आयात, घरेलू उत्पाद और अन्य आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने यूएसए से होने वाले आयात के संबंध में अपना आवेदन वापस ले लिया।

5. अथॉरिटी ने डीजी सिस्टमस के आयात डेटा के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी को क्रॉस-वेरिफ़ाई किया। यह पाया गया कि यूएसए से होने वाले लगभग 99% आयात में स्टॉक लॉट या बचा हुआ स्टॉक शामिल था, जिनकी कीमतें अन्य सभी आयातों की तुलना में काफ़ी कम थीं। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि जहाँ अन्य संबंधित देशों से भी स्टॉक लॉट या बचा हुआ स्टॉक आयात किया गया था, वहीं ऐसे आयातों की मात्रा नगण्य और बहुत कम थी। इसलिए, एंटी-डंपिंग

नियमों के नियम 14 (a) को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी घरेलू उद्योग द्वारा की गई वापसी की अपील के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद के संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले आयातों के संबंध में जाँच को समाप्त करती है।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

6. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

6.1 जांच की शुरुआत

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2025 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भेजी और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अनुरोध किया।

6.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों उनके अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गई थी।

6.3 संबद्ध देश के निर्यातकों की प्रतिभागिता

क. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रश्नावली भेजी:

i. एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड (बांग्लादेश)

ii. हेंगली ग्रुप (चीन)

iii. हेफेई लेकाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)

iv. जियांग्सू युक्सिंग फिल्म टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

v. जियांग्सू श्वांगक्सिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन)

vi निंगबो चांगयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

vii. सैनफैंगक्सियांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)

viii. सिचुआन डोंगकाई टेक्नोलॉजी ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)

ix. किंगडाओ किंगचुआन युआनरोंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (चीन)

x. पॉलीप्लेक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी (थाईलैंड)

xi. एजे प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड (थाईलैंड)

xii. पॉलीप्लेक्स (यूएसए) एलएलसी (संयुक्त राज्य अमेरिका)

ख. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ग. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

i. एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड (बांग्लादेश)

ii. फुजियान बिलियन हाई-टेक मैटेरियल्स इंड. कं. लि. (चीन)

iii. हैंग्जो ग्रेट साउथईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड (चीन)

iv. जियांग्सू कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

v. जियांग्सू श्वांगक्सिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन)

vi. कांगहुई नानटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

vii. कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

viii. कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड (जुआंग्सू) कंपनी लिमिटेड (चीन)

ix. सनराइज एशिया लिमिटेड (हांगकांग)

x. यूनाइटेड रॉ मटेरियल पीटीई लिमिटेड

xi. ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड (थाईलैंड)

6.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी।

i. ए डी एम इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. आरनव फैशन लिमिटेड

iii. अल्कोन इलेक्ट्रॉनिक्स

iv. कोमिट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

v. देसाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

vi. जी जे इम्पेक्स

vii. गोपाल प्रिंटपैक सॉल्यूशंस

viii. जीएसएनएसयूबीएच मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड

ix. एच पी पैकेजिंग

x. हिन्दुस्तान मेटालिक्स

xi. एचकेसी इंटरनेशनल

xii. लाइफ बांड्स

xiii. महावीर मेटैलिक

xiv. मंडगिनी सील्स

xv. मनु क्रिएशन

xvi. मारुति नैरो फैब

xvii. नरसिंह दास एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

xviii. नियोट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

xix. पीएम ट्रेडिंग कंपनी

xx. पैकेजिंग क्राफ्ट

xxi. पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

xxii प्रथम इंटरनेशनल

xxiii. क्वालिटी पेपर मार्ट

xxiv. एस ए एंटरप्राइज

xxv. सागर मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड

xxvi. सप्रू मशीन प्राइवेट लिमिटेड।

xxvii. सप्तम पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड

xxviii. श्री गणेश जरी कवरिंग प्राइवेट लिमिटेड

xxix. श्री राम रेसिन प्राइवेट लिमिटेड

xxx. श्रीराम मेहर पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड।

xxxi. टीबीसी कॉपियर सेल्स एंड सर्विसेज

xxxii. टीडीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

xxxiii. त्रिवेणी पॉली फिल्म्स

xxxiv. वैरम एंटरप्राइजेज

ख. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी ने तदनुसार उनके अनुरोधों पर विचार किया है।

i. मैसर्स राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्रा. लि

6.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

क. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है। क्षति जांच की अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।

6.6 अन्य

क. जांच की शुरुआत की अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भेजी गई थी।

ख. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति संबंध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2025 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा आमंत्रित किया था।

ग. प्राधिकारी को वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुए। किए गए अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद

के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को दिनांक 6 नवंबर 2025 की अधिसूचना द्वारा अंतिम रूप दिया। ।

घ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

ड. डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था कि वह क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

च. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

छ. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इन प्रारंभिक जांच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है।

ज. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

झ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इनकार किया है, अथवा अन्यथा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

ञ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर उस स्तर तक विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं। प्राधिकारी प्राथमिक जांच परिणामों के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जांच परिणामों के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेंगे।

ट. इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना को दर्शाते हैं।

ठ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर अमेरिकी 1 डॉलर=85.43 रु. है। (स्रोत: याचिका)

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया:

1. विचाराधीन उत्पाद 8-100 माइक्रोन की पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म या बाइसियाली ओरिएंटेड टेरेफ्थालेट फिल्म है। इसे आमतौर पर पीईटी फिल्म या पॉलिएस्टर फिल्म के रूप में जाना जाता है। पीईटी फिल्म एक स्पष्ट, लचीली, पारदर्शी या पारभासी फिल्म है और इसके उपयोग के आधार पर इसके विविध प्रकार उपलब्ध हैं। पीईटी फिल्म सादी, रासायनिक लेपित, ऐक्रेलिक लेपित, एक तरफ या दोनों तरफ धातुयुक्त हो सकती है। ऐसी सभी पीईटी फिल्में द्विअक्षीय रूप से उन्मुख होती हैं और एक ही कच्चे माल से और एक ही तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती हैं और इसलिए, ऐसे वेरिएंट में समान भौतिक और तकनीकी विशेषताएं होती हैं।

2. सोलर पैनल में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

3. विचाराधीन उत्पाद का व्यापक रूप से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे खाद्य पैकेजिंग, कॉस्मेटिक पैकेजिंग और अन्य लचीली पैकेजिंग में पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए विद्युत इन्सुलेशन, विद्युत सामग्री पैकेजिंग और चुंबकीय टेप और अन्य अनुप्रयोगों के रूप में भी किया जाता है जहां टिकाऊपन की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग मुद्रण के लिए किया जा सकता है और लेबल, पोस्टर, अन्य मुद्रित सामग्री और चिपकने वाले टेप और सिलिकॉन फिल्मों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोने और चांदी के धागे के निर्माण के लिए आधार और चमक प्रदान करने के लिए भी किया जाता है।

4. संबद्ध सामान शीर्ष 3920 और 3921 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। संबद्ध सामानों का आयात प्रशुल्क कोड 3920 6210, 3920 6220, 39206290, 3920 6919 और 3921 9094 के तहत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. पीईटीजी श्रिंक फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक विशिष्ट उत्पाद है जिसका विशिष्ट अनुप्रयोग है और इसे व्यावसायिक बिक्री के लिए भारत में निर्मित नहीं किया गया है।

ii. थर्मल लैमिनेशन फिल्मों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे निचले स्तर के उत्पाद हैं, जिसका निर्माण चिरीपाल, एस्टर और वैकमेट द्वारा नहीं किया जाता है।

iii. थर्मल लैमिनेशन फिल्म को आधार बीओपीईटी फिल्म को थर्मल रूप से सक्रिय रेजिन जैसे एथिलीन विनाइल एसीटेट, कम घनत्व पॉलीइथाइलीन, या अन्य समान चिपकने वाली परतों के साथ लेयरिंग करके बनाया जाता है। थर्मल लैमिनेशन फिल्मों में अलग-अलग उत्पाद प्रक्रिया, अंतिम उपयोग स्पेक्ट्रम और तकनीकी गुण होते हैं।

iv. भारत में वितरकों और ग्राहकों के पत्रों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे पॉलीप्लेक्स से थर्मल लैमिनेशन फिल्मों को पसंद करते हैं।

v. यदि थर्मल लैमिनेशन फिल्मों को बाहर नहीं रखा जाता है, निम्नलिखित पीसीएन पद्धति पर विचार किया जाना चाहिए -

मापदंड	आधार	सुझाया गया वर्गीकरण
क	मोटाई (माइक्रोन)	[गोपनीय] माइक्रोन के बीच की सीमा
ख	सतह उपचार/कोटिंग	**पीईटी फिल्मों का एक साइड:** **(**क) सादा (ख) रासायनिक रूप से लेपित (ग) ऐक्रेलिक लेपित (घ) धातुयुक्त **थर्मल लैमिनेशन फिल्में:** थर्मली एक्टिवेबल रेजिन कोटेड (ईवीए और/या एलडीपीई)
ग	अपेक्षित प्रयोग/ प्रकार्यात्मकता	मुद्रित सब्सट्रेट जैसे कागज, फोटो एल्बम, किताबें, कार्टन बोर्ड, स्कूल/कॉलेज की डिग्री/प्रमाण पत्र, मानचित्र, पोस्टर, लीफलेट, मेनू कार्ड और ब्रोशर का लेमिनेशन
घ	पारदर्शिता	ज्यादातर चमकदार, कुछ लैमिनेट को मैट और सॉफ्ट टच फिनिश की आवश्यकता होती है

vi. पीसीएन पद्धति केवल फिल्म की मोटाई पर आधारित मानी जानी चाहिए क्योंकि यह लागत और कीमत का मुख्य निर्धारक है, जबकि फिल्म या सतह उपचार के प्रकार जैसे अन्य कारकों का लागत या कीमत पर काफी प्रभाव नहीं पड़ता है। तदनुसार, निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए -

क्र.सं.	मापदंड	मूल्य	पीसीएन कोड
1.	मोटाई	8 माइक्रोन (समग्र) 20 माइक्रोन तक	01
		20 माइक्रोन से अधिक 30 माइक्रोन तक	02
		30 माइक्रोन से अधिक 40 माइक्रोन तक	03
		40 माइक्रोन से अधिक 50 माइक्रोन तक	04

		50 माइक्रोन से अधिक 100 माइक्रोन तक	05

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचारधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. विचाराधीन उत्पाद फिल्म के प्रकार, फिल्म के सतह उपचार और फिल्म की मोटाई में अंतर के साथ वेरिएंट की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध है। ऐसे वेरिएंट उत्पादन की लागत और परिणामी बिक्री कीमत में सामग्री अंतर का परिणाम देते हैं।

ii. वर्तमान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए-

क्र.सं.	**मापदंड**	**उत्पाद प्रकार**
1.	फिल्म का प्रकार	क - सादा
		ख - धातुयुक्त
		ग - अन्य
2.	सतह उपचार	01 – अनकोटेड
		02 – ऑनलाइन रासायनिक रूप से लेपित (अर्थात, बेस फिल्म पूरी तरह से खिंचने से पहले रासायनिक कोटिंग लगाई गई)
		03 – ऑफलाइन रासायनिक रूप से लेपित (अर्थात, बेस फिल्म पूरी तरह से खिंचने के बाद रासायनिक कोटिंग लगाई गई)
3.	मोटाई सीमा	01 – 20 माइक्रोन तक
		02 – 20 से ऊपर, 30 माइक्रोन तक
		03 – 30 से ऊपर, 40 माइक्रोन तक
		04 – 40 से ऊपर, 50 माइक्रोन तक
		05 – 50 से ऊपर, 100 माइक्रोन तक

iii. घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से थर्मल लैमिनेशन फिल्मों को बाहर करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

iv. पीईटीजी श्रिंक फिल्म को उत्पाद क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

v. पीईटीजी श्रिंक फिल्म के लिए मांग यद्यपि बहुत सीमित है, तथापि घरेलू उद्योग ने ऐसी फिल्मों का उत्पादन और बिक्री की है, जैसा कि उत्पादन रिकॉर्ड और बिक्री के बीजकों से सिद्ध है। तथापि, सीमित मांग और आदेशों की कमी के कारण, पीईटीजी श्रिंक फिल्म का उत्पादन अर्थक्षम नहीं रहा है।

vi. अन्य भारतीय निर्माता जैसे गरवारे हाई-टेक फिल्म्स और कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड भी पीईटीजी श्रिंक फिल्मों के उत्पादन और बिक्री में लगे हुए हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट (पीईटी) फिल्म या 8-100 माइक्रोन की द्विअक्षीय रूप से उन्मुख पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म है।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ उत्पादों को बाहर करने का अनुरोध किया है, जिनकी नीचे जांच की गई है।

12. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पीईटीजी श्रिंक फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह विशिष्ट अनुप्रयोग वाला एक विशेष उत्पाद है और इसे वाणिज्यिक बिक्री के लिए भारत में निर्मित नहीं किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने पीईटीजी श्रिंक फिल्मों के रूप में बाजार में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि अन्य भारतीय उत्पादक भी पीईटीजी श्रिंक फिल्म का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। चूंकि समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है, अत: पीईटीजी श्रिंक फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि पीईटीजी श्रिंक फिल्म एक विशेषता वाला बहुलक है- पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट ग्लाइकोल-संशोधित, पीईटीजी श्रिंक फिल्म के लिए एक अलग पीसीएन को अपनाया गया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने पीईटीजी श्रिंक फिल्म को पीसीएन पद्धति में एक मापदंड के रूप में माना है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है।

13. थर्मल लैमिनेशन फिल्मों को बाहर करने के अनुरोध के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसे इस तरह से बाहर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। अत: थर्मल लैमिनेशन फिल्मों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

14. तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से निम्नलिखित उत्पाद क्षेत्र को निर्धारित किया है, जिसे अधिसूचना फा. सं. 6 / 55 / 2025-डीजीटीआर, दिनांक 6 नवंबर 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में एक स्पष्टीकरण अधिसूचित किया है, जैसा कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

> *"विचाराधीन उत्पाद 8-100 माइक्रोन की पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म या बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म है। इसे आमतौर पर पीईटी फिल्म या पॉलिएस्टर फिल्म के रूप में जाना जाता है। यह एक स्पष्ट, लचीला, पारदर्शी या पारभासी फिल्म है और इसके उपयोग के आधार पर इसके विविध प्रकार उपलब्ध हैं। पीईटी फिल्म सादी, रासायनिक लेपित, ऐक्रेलिक लेपित, एक तरफ या दोनों तरफ धातुयुक्त हो सकती है। ऐसी सभी पीईटी फिल्में बायएक्सियली ओरिएंटेड होती हैं क्योंकि वे एक ही कच्चे माल से और एक ही तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती हैं और इसलिए, ऐसे प्रकारों में समान भौतिक और तकनीकी विशेषताएं होती हैं।*
>
> *सोलर पैनल में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म और थर्मल लैमिनेशन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।"*

15. विचाराधीन वस्तुओं को सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत शीर्ष 3920 और 3921 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इन वस्तुओं का आयात शुल्क संहिता 3920 6210, 3920 6220, 39206290, 3920 6919 और 3921 9094 के तहत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

16. इसके बाद किसी अन्य अनुरोध के अभाव में, प्राधिकारी ने दिनांक 6 नवंबर 2025 की सूचना के तहत अधिसूचित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को अनंतिम रूप से अपनाया है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, प्राधिकारी अनंतिम रूप से

निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान, नियमावली के नियम 2 (घ) के तहत परिभाषित किए गए अनुसार संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "समान वस्तु" हैं।

18. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ घरेलू उद्योग ने पीसीएन पद्धति के निर्धारण के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

19. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि यदि थर्मल लैमिनेशन फिल्मों को उत्पाद क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो इसे पीसीएन पद्धति में एक मापदंड के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि, चूँकि थर्मल लैमिनेशन फिल्म को पहले ही उत्पाद क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, अत: इसे पीसीएन मापदंड के रूप में नहीं माना गया है।

20. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी पीसीएन पद्धति के लिए मापदंड के रूप में इच्छित उपयोग और पारदर्शिता पर विचार करने का अनुरोध किया। तथापि, प्रस्तावित पद्धति को सही ठहराने के लिए उत्पादन लागत में अंतर दिखाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था। इसके अलावा, उत्पाद के इच्छित अनुप्रयोग से उत्पाद के उत्पादन की लागत में अंतर नहीं आता है। इस प्रकार, इन मापदंडों पर विचार करते हुए किसी भी पीसीएन पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

21. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पीसीएन पद्धति को फिल्म के प्रकार, सतह उपचार और फिल्म की मोटाई के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि पीसीएन पद्धति केवल फिल्म की मोटाई पर आधारित होनी चाहिए। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि फिल्म की मोटाई से लागत में काफी अंतर आता है। हालांकि, प्रयुक्त फिल्म के प्रकार और फिल्म के अतिरिक्त सतह उपचार के परिणामस्वरूप पीईटी फिल्म की लागत में महत्वपूर्ण अंतर होता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने फिल्म के प्रकार, फिल्म के सतह उपचार और फिल्म की मोटाई सहित कारकों पर विचार करते हुए एक पीसीएन पद्धति निर्धारित की है।

22. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति निर्धारित की है -

क्र.सं.	**मापदंड**	**उत्पाद प्रकार**
1.	फिल्म का प्रकार	क - सादा
		ख - धातुयुक्त
		ग - अन्य

2.	सतह उपचार	01 – अनकोटेड
		02 – ऑनलाइन रासायनिक रूप से लेपित (अर्थात, बेस फिल्म पूरी तरह से खिंचने से पहले रासायनिक कोटिंग लगाई गई)
		03 – ऑफलाइन रासायनिक रूप से लेपित (अर्थात, बेस फिल्म पूरी तरह से खिंचने के बाद रासायनिक कोटिंग लगाई गई)
3.	मोटाई सीमा	01 – 20 माइक्रोन तक
		02 – 20 से ऊपर, 30 माइक्रोन तक
		03 – 30 से ऊपर, 40 माइक्रोन तक
		04 – 40 से ऊपर, 50 माइक्रोन तक
		05 – 50 से ऊपर, 100 माइक्रोन तक

उदाहरण के लिए, 12 माइक्रोन के सादे बीओपीईटी अनकोटेड फिल्म के लिए पीसीएन ए 01 01 होगा और 22 माइक्रोन के धातुयुक्त बीओपीईटी फिल्म ऑफ़लाइन कोटिंग के लिए पीसीएन बी 03 02 होगा।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

   i. यह आवेदन-पत्र तीन भारतीय निर्माताओं चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

   ii. आवेदन-पत्र दायर करने के बाद, दो अन्य उत्पादकों, यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने लागत और क्षति के पूरे आंकड़े दायर किए हैं और घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में विचार करने का अनुरोध किया है।

iii. इस आवेदन-पत्र का समर्थन उत्पाद के दस अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है।

iv. चार अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादक हैं, अर्थात् एसआरएफ लिमिटेड, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तापडिया पॉलिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और गारवेयर हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड, जिन्होंने वर्तमान आवेदन-पत्र का समर्थन या विरोध नहीं किया है।

v. दो निर्माता, अर्थात् एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड, संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के निर्यातकों से संबद्ध हैं। तदनुसार, एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड को घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र माना जाना चाहिए।

vi. आवेदकों का संबद्ध सामानों के लिए कुल पात्र भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और नियमावली के तहत घरेलू उद्योग हैं।

vii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

viii. आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *" (ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

26. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत में आयात नहीं किया है। आवेदकों ने यह भी पुष्टि की है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के निर्यातकों या भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

27. इसके अतिरिक्त, दो उत्पादकों, अर्थात् यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अलग-अलग लागत और क्षति की सूचना प्रस्तुत की और घरेलू उद्योग का भाग माने जाने का अनुरोध किया। जांच शुरु करने के बाद, प्राधिकारी ने उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई लागत और क्षति की सूचना की जांच की और वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर विचार करने का निर्णय लिया। दोनों निर्माताओं ने दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

28. उपरोक्त उत्पादकों के अलावा, भारत में समान वस्तु के उत्पादन में लगे चौदह अन्य घरेलू उत्पादक हैं। दस घरेलू उत्पादकों, अर्थात् आकाश पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, एगियोस पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड, धुंसेरी पॉली फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जनरल पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएलएस पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एसएमएल फिल्म्स लिमिटेड और सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन-पत्र और वर्तमान जांच का समर्थन करते हुए पत्र दायर किए। यह नोट किया जाता है कि जनरल पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड जांच की अवधि के दौरान समान वस्तु के उत्पादन में नहीं लगा था और उसने जांच की अवधि के बाद की अवधि में उत्पादन शुरू किया था।

29. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि दो घरेलू उत्पादक, अर्थात् एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यातकों से संबद्ध हैं, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तदनुसार, आवेदकों ने दावा किया कि उनके उत्पादन को कुल उत्पादन के हिस्से के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

30. प्राधिकारी ने प्रदान की गई सूचना और डीजी सिस्टम के आंकड़ों की जांच की है, यह नोट किया जाता है कि एसआरएफ लिमिटेड एसआरएफ इंडस्ट्रीज (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड से संबद्ध है जो थाईलैंड से निर्यातक है, और पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड पॉलीप्लेक्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स यूएसए एलएलसी से संबद्ध है, जो क्रमशः थाईलैंड और यूएसए से निर्यातक हैं। ऐसे संबद्ध निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का काफी मात्रा का निर्यात किया है।

31. एसआरएफ इंडस्ट्रीज थाईलैंड लिमिटेड के निर्यात की मात्रा की जांच डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से की गई है और पाया गया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान भारत में *** मीट्रिक टन पीयूसी का निर्यात किया है। इसी प्रकार, पॉलीप्लेक्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने भी पीओआई के दौरान भारत में *** मीट्रिक टन पीयूसी का निर्यात किया है। आवेदक ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि एसआरएफ इंडिया लिमिटेड, एसआरएफ इंडस्ट्रीज थाईलैंड लिमिटेड की एक संबद्ध इकाई है। इसी प्रकार, पॉलीप्लेक्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक संबद्ध इकाई है।

32. इसके अतिरिक्त, दोनों उत्पादकों ने इस जांच के दौरान प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है और अपने निष्पादन अथवा ऐसे आयातों के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। तद्नुसार, प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी के आधार पर, एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड को नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने से अपात्र माना जाता है। परिणामस्वरूप, एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संबद्ध सामानों के उत्पादन को नियम 2(ख) और नियम 5(3) के प्रयोजन के लिए संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करते समय विचार नहीं किया गया है।

33. उपर्युक्त मद्देनजर, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जा रहे घरेलू उत्पादकों द्वारा समान वस्तु के उत्पादन का भारत में कुल पात्र घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात (45%) है। इसके अतिरिक्त, घरेलू समर्थकों के साथ घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना जाता है, जिनका भारत में कुल पात्र उत्पादन में 96% हिस्सा है। इस प्रकार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते है कि चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैकमेट इंडिया लिमिटेड, उल्फेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट

लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग हैं, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

विवरण	**इकाई**	**उत्पादन**	**हिस्सा**
पात्र घरेलू उत्पादन			
घरेलू उद्योग	एमटी	4,04,405	45%
समर्थक उत्पादक	एमटी	4,61,464	51%
घरेलू उद्योग + समर्थक	एमटी	8,65,869	96%
अन्य पात्र भारतीय उत्पादक	एमटी	37,920	4%
कुल पात्र घरेलू उत्पादन	एमटी	9,03,789	100%
अपात्र घरेलू उत्पादन			
एसआरएफ लिमिटेड	एमटी	***	
पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड	एमटी	***	
कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	10,45,341	

ड. <u>गोपनीयता और विविध मुद्दे</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए है। तथापि, निर्यातक द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के उत्तर में, कंगहुई समूह ने दावा किया है कि ऐसी सूचना वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना है, जिसका खुलासा होने पर वाणिज्यिक नुकसान होगा।

ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कंगहुई समूह ने अपने शेयरधारकों और संबद्ध पक्षकारों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, यहां तक कि जब ऐसी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक समूह

ने निर्यात कीमत के संबंध में दावा किए गए समायोजनों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

च.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

39. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन जन.गण. को चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली अनुबंध I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, उचित लाभ के साथ, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के लिए समायोजित, भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. से निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।

iii. अन्य संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में, घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत, साथ ही बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभों के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना प्रस्तुत की है।

iv. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तरों से अधिक है, बल्कि काफी भी है।

v. प्राधिकारी को केवल चीन जन.गण. से दो नमूनाकृत निर्यातकों के लिए अलग मार्जिन निर्धारित करना चाहिए और किसी अन्य निर्यातकों से मार्जिन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं करने चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के अपने अपने उत्तर दायर किए हैं:

i. एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड (बांग्लादेश)

ii. फुजियान बिलियन हाई-टेक मैटेरियल्स इंड. कंपनी लिमिटेड (चीन)

iii. हैंग्जोउ ग्रेट साउथईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड (चीन)

iv. जियांग्सू कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

v. जियांग्सू श्वांगक्सिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन)

vi. कांगहुई नानटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

vii. कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)

viii. कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड (जुआंग्सू) कंपनी लिमिटेड (चीन)

ix. सनराइज एशिया लिमिटेड (हांगकांग)

x. यूनाइटेड रॉ मटेरियल पीटीई लिमिटेड।

xi. ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड (थाईलैंड)

41. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, यद्यपि प्राधिकारी के लिए उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है, जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर उस स्थिति में दायर किए हैं जहां अधिसंख्य उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, तथापि प्राधिकारी सीमित संख्या में उत्पादकों तक उत्तर सीमित कर नमूनाकरण का सहारा ले सकते हैं। नियमावली में इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं।

> *"17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे:*
>
> ***बशर्ते** कि ऐसे मामलों में जहां निर्यातक, उत्पादक, आयातक या शामिल वस्तुओं की संख्या इतनी अधिक है कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो जाता है, यह चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करके, या प्रश्न में देश से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक, जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है, या निष्कर्षों को सीमित कर सकता है, और इस परंतुक के तहत किए गए निर्यातक, उत्पादक या वस्तुओं के प्रकार का कोई भी चयन, संबंधित निर्यातक, उत्पादक या आयातकों के परामर्श और सहमति से किया जाएगा:*
>
> ***बशर्ते** यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे, यद्यपि शुरू में चयन न किया गया है, जो समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करता है, सिवाय जहां निर्यातकों या*

उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक है कि व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी और जांच को समय पर पूरा करने से रोकेगी।"

42. चीन जन.गण. से प्राप्त बड़ी संख्या में उत्तरों के मद्देनजर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के उत्पादकों के नमूनाकरण पर विचार किया। इसे दिनांक 23 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, नमूनाकृत उत्पादकों को दिनांक 9 जनवरी 2025 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। विचार किया गया नमूना, नमूने के भाग के रूप में माने जा रहे निर्यातों की सबसे बड़ी मात्रा वाले उत्पादकों/उत्पादक समूहों के साथ भारत में निर्यातों की मात्रा के आधार पर था। इन नमूनाकृत उत्पादकों द्वारा निर्यातों का सहयोगी निर्यातकों द्वारा निर्यातों की कुल मात्रा में 66% हिस्सा है।

43. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने अलग अलग मार्जिन निर्धारित करने के लिए चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादकों को उनके संबद्ध निर्यातकों के साथ चुना है-

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक समूह
1	कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड, चीन कांगहुई नानटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड, चीन कंगहुई इंटरनेशनल ट्रेड (जियांग्सू) कं. लिमिटेड, चीन जियांग्सु कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, चीन (ट्रेडर)
2	जिआंग्सू श्वांगक्सिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कं, लिमिटेड, चीन

च.3.1 <u>बंगलादेश के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

बंगलादेश के लिए सामान्य मूल्य

<u>एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड (एकेआईजे) के लिए सामान्य मूल्य</u>

44. जांच की अवधि के दौरान, एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड (एकेआईजे) ने विचाराधीन उत्पाद के [***] एमटी का भारत को निर्यात किया है, जबकि घरेलू बाजार में [***] एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री मात्रा में पर्याप्त है।

45. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने अपने घरेलू बाजार में एकेआईजे द्वारा किए गए घरेलू बिक्री लेनदेन की जांच की है। पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य व्यापार परीक्षण प्रक्रिया की गई थी। पीसीएन के मामले में, जहां 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सभी बिक्री लेनदेनों की कारखानागत बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। जहां 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहां सामान्य मूल्य केवल लाभप्रद बिक्री की कारखानागत बिक्री कीमत के आधार निर्धारित किया गया है।

46. एकेआईजे ने अंतर्देशीय माल भाड़ा, क्रेडिट लागत, पैकिंग लागत और अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय के निमित्त कीमत समायोजन का दावा किया है। सत्यापन होने तक अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय को छोड़कर दावा किए गए समायोजन को अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य को अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

बंगलादेश के अन्य सभी उत्पादक/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

47. बांग्लादेश से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बंगलादेश के लिए निर्यात कीमत

एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

48. एकेआईजे ने विचाराधीन उत्पाद का [***] एमटी भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

एकेआईजे → भारत में असंबद्ध ग्राहक

49. असंबद्ध ग्राहकों से एकेआईजे द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर, प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद किए जाने वाले विस्तृत सत्यापन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क, पैकिंग लागत, निर्यात प्रोत्साहन और अप्रत्यक्ष बिक्री खर्चों के लिए समायोजन का

दावा किया है। अप्रत्यक्ष बिक्री खर्चों और निर्यात प्रोत्साहन को छोड़कर दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा विस्तृत सत्यापन होने तक अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। अनंतिम रूप से निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

बंगलादेश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

50. बांग्लादेश से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.2 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

51. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल कमे आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन

उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे ,बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

52. आवेदकों ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर विश्वास किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के

निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान है। आवेदकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में समर्थ नहीं हैं उनकी लागतों और कीमत संबंधी सूचना बाजार संचालित हैं, तो सामान्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।

53. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए है, तथापि, अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, अत: पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना की जानी अपेक्षित है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी नमूनाकृत उत्पादक ने वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1-के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

> *''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य*

बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

55. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, पैराग्राफ 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और उसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर किया जाएगा या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान किया गया या देय कीमत शामिल है। यदि आवश्यक हो, तो उचित रूप से समायोजित किया गया। वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा लाए गए बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई प्रमाण नहीं है। वर्तमान जांच में संबद्ध देशों के अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात मात्रा में कम है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है।

56. अत: प्राधिकारी ने पैराग्राफ 7 में निर्धारित किए गए अनुसार चीन जन.गण. के लिए "भारत में देय कीमत" के रूप में सामान्य मूल्य का अनंतिम रूप से निर्धारण किया है। इसकी गणना बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभों के लिए विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है। अनंतिम रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

जिआंग्सू कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड, कांगहुई नानटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड और कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत, और (सामूहिक रूप से "कांगहुई समूह" के रूप में उल्लिखित)

57. जियांग्सू कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (जियांग्सू कांगहुई), कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगहुई न्यू मटेरियल) और कांगहुई नानटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगहुई नानटोंग) चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के निर्माण में लगी संबद्ध कंपनियां हैं। जांच की अवधि के दौरान, तीनों कंपनियों ने संबद्ध व्यापारी, अर्थात् कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड जियांग्सू कंपनी लिमिटेड (कांगहुई इंटरनेशनल) के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। कांगहुई इंटरनेशनल ने आगे संबद्ध सामानों को भारत में असंबद्ध ग्राहकों को और असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से सीधे बेचा है।

58. जांच की अवधि के दौरान जियांगशु कांगहुई ने कुल [***] एमटी बेचा है, जिसमें से [***] एमटी सीधे संबद्ध व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल द्वारा निर्यात किया गया है, और [***] एमटी संबद्ध व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से बेचा गया था, जिसने आगे विचाराधीन उत्पाद को भारत में आगे निर्यात के लिए असंबद्ध व्यापारियों सनराइज और यूनाइटेड को बेचा था। कुल [***] एमटी में से, [***] एमटी संबद्ध व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से बेचा गया था, जिसने आगे विचाराधीन उत्पाद को भारत में आगे निर्यात के लिए असंबद्ध असहयोगी व्यापारी को बेचा था और ऐसे असंबद्ध व्यापारियों ने जांच में भाग नहीं लिया है।

59. जांच की अवधि के दौरान कांगहुई नंतोंग ने संबद्ध व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से सीधे कुल [***] एमटी मात्रा बेची है।

60. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से कांगहुई न्यू मटेरियल ने कुल [***] एमटी मात्रा बेची है। कांगहुई इंटरनेशनल ने बदले में, उसी मात्रा को भारत में आगे निर्यात के लिए असंबद्ध व्यापारी को बेच दिया है जिसने जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि बिक्री चैनल असंबद्ध व्यापारी की गैर-भागीदारी के कारण अधूरा है, जिसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामान बेचा है, प्राधिकारी अनंतिम रूप से कांगहुई न्यू मटेरियल को असहयोगी मानते है।

जियांग्सू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

जियांग्सू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → सनराइज → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

जियांग्सु कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → यूनाइटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

जियांग्सु कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → असहयोगी व्यापारी → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

कांगहुई नांटोंग → कांगहुई इंटरनेशनल → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

कांगहुई न्यू मटेरियल → कांगहुई इंटरनेशनल → गैर-सहयोगी व्यापारी → भारत में असंबंधित ग्राहक [***MT]

61. यह देखा गया है कि कांगहुई ग्रुप ने संबंधित और गैर-संबंधित व्यापारियों के माध्यम से भारत को कुल [***] MT मात्रा का निर्यात किया है। इस कुल निर्यात में से, एक छोटी मात्रा का निर्यात अप्रत्यक्ष रूप से उन गैर-संबंधित व्यापारियों के माध्यम से किया गया है, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि, जांच में भाग न लेने वाले गैर-संबंधित व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यात की मात्रा कम है, इसलिए प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे निर्यातों के संबंध में शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित किया है।

62. निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से ली गई कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का अनंतिम निर्धारण किया गया है। उत्पादकों ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है। विस्तृत सत्यापन होने तक प्राधिकारी द्वारा दावा किए गए समायोजनों की अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है।

63. उपर्युक्त के अनुसार, कंगहुई समूह के लिए भारित औसत निर्यात कीमत, जिसमें जिआंग्सू कंगहुई और कंगहुई नानटोंग शामिल हैं, इस स्तर पर विस्तृत सत्यापन होने के कारण अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अनंतिम रूप से निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

जिआंग्सू श्वांगक्सिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कं, लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

64. जियांग्सू श्वांगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कं, लिमिटेड (जियांग्सू श्वांगशिंग) ने विचाराधीन उत्पाद के [***] एमटी का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

जियांग्सू श्वांगक्सिंग → भारत में असंबद्ध ग्राहक

65. इस स्तर पर उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्यात कीमत अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है जो निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से ली गई कीमत पर आधारित है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा और बंदरगाह से संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के लिए समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा विस्तृत सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। नीचे दी गई तालिका में अनंतिम रूप से निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख किया गया है।

चीन जन.गण. से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

66. अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सहयोगी नमूनाकृत उत्पादकों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.3 <u>थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य</u>

<u>ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कं. लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य</u>

67. जांच की अवधि के दौरान, ए.जे प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड (ए.जे प्लास्ट) ने विचाराधीन उत्पाद का [***] एमटी भारत को निर्यात किया है, जबकि घरेलू बाजार में [***] एमटी संबद्ध सामानों को बेच रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री मात्रा पर्याप्त है।

68. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने अपने घरेलू बाजार में ए.जे. प्लास्ट द्वारा किए गए घरेलू बिक्री लेनदेन की जांच की है।

69. पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की गई थी। पीसीएन के मामले में, जहां 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सभी बिक्री लेनदेन के कारखानागत बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। जहां 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई

थी, वहां सामान्य मूल्य केवल लाभदायक बिक्री के कारखानागत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

70. ए.जे. प्लास्ट ने अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत, पैकिंग लागत और विपणन लागत के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। विस्तृत सत्यापन होने पर दावा किए गए समायोजन को अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य को अनंतिम रूप से नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका उल्लिखित किया गया है।

थाइलैंड से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

71. थाईलैंड से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाइलैंड के लिए निर्यात कीमत

ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कं. लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

72. ए. जे. प्लास्ट ने विचाराधीन उत्पाद के [***] एमटी का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है

ए.जे प्लास्ट → भारत में असंबद्ध ग्राहक

73. निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से ली गई कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, पैकिंग लागत, कमीशन और शुल्क वापसी के लिए समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजन प्राधिकारी द्वारा सत्यापन होने तक अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए हैं। नीचे दी गई तालिका में अनंतिम रूप से निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख किया गया है।

थाइलैंड से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

74. थाईलैंड से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.5 <u>पाटन मार्जिन</u>

75. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित है।

<u>पाटन मार्जिन तालिक</u>

क्र.सं.	**उत्पादक**	**सामान्य मूल्य (यूएसडॉ./एमटी)**	**निर्यात कीमत (यूएसडॉ./एमटी)**	**पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)**	**पाटन मार्जिन (%)**	**पाटन मार्जिन (रेंज)**
क.	**बंगलादेश**					
1.	एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
2.	कोई अन्य	***	***	***	***	45-55
ख.	**चीन जन.गण.**					
1.	जियांग्सु कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2.	कांगहुई नटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड (सामूहिक रूप से "कांगहुई समूह" के रूप में उल्लिखित)	***	***	***	***	10-20
3.	कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (सामूहिक रूप से "कांगहुई ग्रुप")	***	***	***	***	20-30
4.	भारित औसत	***	***	***	***	10-20

	(कांगहुई ग्रुप)					
5	जियांग्सु कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
6	अन्य गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादक	***	***	***	***	10-20
7	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
ग.	**थाइलैंड**					
1.	ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2.	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

77. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध यह दर्शाने के लिए किए गए हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।

i. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन वर्तमान मामले में उपयुक्त है क्योंकि संचय की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं।

ii, संबद्ध देशों से आयात की मात्रा पूरी क्षति की अवधि में बढ़ गई और जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी।

iii. क्षति की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात की मात्रा भी बढ़ गई है।

iv. देश में मांग-आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं होने के बावजूद आयात की मात्रा में वृद्धि की दर देश में मांग में वृद्धि की दर से अधिक थी।

v. संबद्ध आयात पूरी तरह से अनावश्यक हैं क्योंकि भारतीय उद्योग के पास पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

vi. संबद्ध आयात ने अन्य सभी देशों के आयात को विस्थापित कर दिया है, और देश में कुल आयात का 82% हिस्सा है।

vii. परिणामस्वरूप, संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

viii. जांच की अवधि के दौरान आयातित सामानों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया था।

ix. घरेलू उद्योग को अपनी लागत में परिवर्तन की तुलना में अधिक दर पर अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया गया था, ताकि बाजार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संबद्ध आयात की पहुंच कीमत बहुत कम थी।

x. संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है।

xi. क्षमता विस्तार के कारण इस अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री की मात्रा में 2023-24 की तुलना में गिरावट आई।

xii. इस अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता में गिरावट आई है।

xiii. अपनी कीमतें कम करने और घाटे में बेचने के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची का अत्यधिक संचय हुआ।

xiv. क्षति की अवधि में घरेलू लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान लागत में मामूली गिरावट के कारण उद्योग की लाभप्रदता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन घरेलू उद्योग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा।

xv. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान काफी क्षति और नकदी क्षति का सामना करना पड़ा, और अपने निवेश पर नकारात्मक आय अर्जित की।

xvi. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति पहुंचाने का खतरा पैदा कर रहे हैं।

xvii. निर्यात की मात्रा में उल्लेखनीय दर से वृद्धि हुई है।

xviii. संबद्ध देशों में निर्यातक अधिक क्षमताएं रखते हैं, जो कम उत्पादन के लिए कम उपयोग की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी निष्क्रिय क्षमताएं उपलब्ध होती हैं।

xix. संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की मांग उपलब्ध क्षमताओं से कम है, जो यह दर्शाती हैं कि क्षमताएं निर्यात के लिए अभिप्रेत हैं।

xx. वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति की स्थिति है जहां वैश्विक स्थापित क्षमता मांग से दोगुनी है।

xxi. सीमित मांग के बावजूद, संबद्ध देशों में निर्यातकों ने काफी क्षमता विस्तार की योजना बनाई है, जिसका उपयोग भारत को निर्यात करने के लिए किया जा सकता है।

xxii. संबद्ध देशों में निर्यातक तीसरे देशों में भी संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे हैं और ऐसे तीसरे देशों में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना कर रहे हैं, जिससे निर्यातकों के लिए बाजार और सीमित हो रहे हैं।

xxiii. संयुक्त राज्य अमेरिका ने संबद्ध सामानों सहित विभिन्न उत्पादों के आयात पर अन्य प्रशुल्क उपाय भी लगाए हैं।

xxiv. घरेलू उद्योग को क्षति भारत में संबद्ध आयात के पाटन के कारण होती है और किसी अन्य कारक के कारण नहीं है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

78. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल किया गया है। तथापि, अभी तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए है।

79. वर्तमान जांच में क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैकमेट इंडिया लिमिटेड, उल्फेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लागत और क्षति की

सूचना पर विचार किया है, जिन्हें नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग माना गया है।

छ.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

80. डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैराग्राफ (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात पर एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा, यदि यह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है और जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयातित वस्तु और आयातित समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किये जा रहे है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा अलग अलग आयात की कुल मात्रा का 3% से अधिक है।

ग. आयातित सामान और समान घरेलू सामानों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है।

82. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि बांग्लादेश, चीन जन.गण., थाईलैंड और यूएसए से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव का आंकलन करना उचित है।

छ.3.2. पाटित आयतों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

83. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार मूल्यांकन की गई मांग नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग	एमटी	2,80,485	3,30,353	3,54,311	3,29,656
अन्य भारतीय उत्पादक	एमटी	2,88,217	3,79,812	3,92,570	4,53,498
संबद्ध आयात	एमटी	14,607	27,541	18,249	41,719
अन्य आयात	एमटी	27,035	35,193	38,311	39,080
कुल मांग	एमटी	6,10,344	7,72,898	8,03,441	8,63,953

84. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ गई है और जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी।

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

85. पाटित आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, अत्यधिक वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	14,607	27,541	18,249	41,719
बंगलादेश	एमटी	12	2790	1281	2763
चीन जन.गण.	एमटी	1785	6955	6483	26086
थाईलैंड	एमटी	12810	17796	10486	12870
अन्य देश	एमटी	27,035	35,193	38,311	39,080
कुल आयात	एमटी	41,642	62,734	56,561	80,799
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
भारतीय उत्पादन	%	2%	4%	2%	5%
प्रवृत्ति	सूचीब	100	153	89	189

	द्ध				
खपत	%	2%	4%	2%	5%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	95	202
कुल आयात	%	35%	44%	32%	52%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	92	147

86. यह देखा जाता है कि-

क. 2023-24 को छोड़कर, चोट की अवधि के दौरान संबंधित आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह सबसे अधिक थी।

ख. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग. जांच अवधि के दौरान संबंधित देशों से आयात कुल आयात का आधा हिस्सा है।

87. घरेलू उद्योग ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि मांग में वृद्धि की तुलना में आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में, मांग में 42% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 186% की काफी वृद्धि देखी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	14,607	27,541	18,249	41,719
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	189	125	286
मांग	एमटी	6,10,344	7,72,898	8,03,441	8,63,953
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	132	142

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

88. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमतों में अत्यधिक कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो

अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है।

**क)	कीमत कटौती**

89.	जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध आयात की पहुंच कीमत से करके कीमत कटौती निर्धारित की गई है।

विवरण	इकाई	पीओआई
निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
पहुंच कीमत	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	रु./एमटी	(***)
कीमत कटौती	%	(***)
रेंज	रेंज	नकारात्मक

90.	प्राधिकरण ने पाया कि जांच की अवधि के दौरान, आयातित वस्तुओं की भूमि मूल्य घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से मामूली रूप से अधिक थी।

**ख)	कीमत ह्रास/न्यूनीकरण**

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक ह्रास करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे की गई थी।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	108	108
निवल बिक्री वसूली	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	82	94

पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,47,411	1,44,150	1,24,911	1,22,910
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	85	83

91. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 2022-23 में बढ़ गई है। तथापि, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली में गिरावट आई क्योंकि आयात की पहुंच कीमत में भारी गिरावट आई। इसके बाद, 2023-24 में, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 5% कम हो गई। तथापि, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली में 13% की बड़ी मात्रा में गिरावट आई, क्योंकि पहुंच कीमत काफी कम रही। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत काफी हद तक स्थिर रही। यह नोट जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू बिक्री लागत 8% तक बढ़ी, जबकि इसकी निवल बिक्री वसूली में 6% तक की गिरावट आई। इसी अवधि के दौरान, आयात की पहुंच कीमत में 17% तक की गिरावट आई। अत:, यह नोट किया जाता है कि आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है और कीमत वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा हुई होती।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

92. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल है।

93. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

94. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
संस्थापित क्षमता	एमटी	3,44,950	4,55,450	5,59,020	5,59,020
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	162	162
उत्पादन	एमटी	3,36,103	3,86,596	4,26,713	4,04,405
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	127	120
क्षमता उपयोग	%	97%	85%	76%	72%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	78	74
घरेलू बिक्रियां	एमटी	2,80,485	3,30,353	3,54,311	3,29,656
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	126	118

95. यह देखा जाता हैं कि -

क. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है।

ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2023-24 तक बढ़ा लेकिन जांच की अवधि के दौरान घट गया।

ग. इसी प्रकार, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा 2023-24 तक बढ़ी लेकिन जांच की अवधि के दौरान उसके बाद घट गई। यह इस तथ्य के बावजूद है कि क्षति की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है।

घ. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है।

ख. बाजार हिस्सा

96. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादक, संबद्ध आयात और अन्य आयात की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

बाजार हिस्सा	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	46%	43%	44%	38%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	47%	49%	49%	52%
संबद्ध आयात	%	2%	4%	2%	5%
अन्य आयात	%	4%	5%	5%	5%

97. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। क्षति की अवधि में अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। उसी समय के दौरान, संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

ग) मालसूची

98. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	6,379	7,899	9,988	9,566
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	157	150

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की औसत सूची में जांच की अवधि में उत्पादन में गिरावट के साथ जांच की अवधि में थोड़ी सी गिरावट के साथ क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह घरेलू बाजार में अपने उत्पादन करने का निपटान करने में सक्षम नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची का संचय हुआ है।

घ) लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

100. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	108	108
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	82	94

लाभ/(हानि)	रु./एमटी	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-226	-373	-147
लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-267	-471	-173
नकद लाभ	लाख रु.	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-106	-228	-49
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-112	-190	-57

101. यह नोट किया जाता है कि-

क. घरेलू उद्योग 2021-22 में लाभ अर्जित कर रहा था। तथापि, घरेलू उद्योग को 2022-23 में हानियां होनी शुरु हो गई, जो 2023-24 में बढ़ गई। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की हानियों में कमी आई। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस अवधि के दौरान लागत में कमी हासिल करने की क्षमता के कारण नुकसान कम हुआ है। हालांकि, घरेलू उद्योग लगातार घाटे में रहा है।

ख. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग को 2022-23 से काफी नकद हानियां हुई है।

घ. घरेलू उद्योग ने 2022-23 से नकारात्मक आय अर्जित की है। जांच की अवधि के दौरान भी, घरेलू उद्योग को नकारात्मक आय होती रही।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

102. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	1,864	2,208	2,264	2,156
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	15,326	17,560	20,052	20,850
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/ दिन	934	1,074	1,185	1,123

प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/ संख्या	180	175	188	188

103. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या और वेतन में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस निमित्त क्षति का दावा नहीं किया है।

च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	%	-	15%	10%	-5%
घरेलू बिक्री	%	-	18%	7%	-7%
लाभ/हानि	%	-	-326%	-65%	61%
नकद लाभ	%	-	-206%	-114%	78%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-212%	-69%	70%

104. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में 2022-23 और 2023-24 में सुधार हुआ। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों ने पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्षति की अवधि में उनका ह्रास हुआ है। जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में थोड़ा सुधार हुआ है, घरेलू उद्योग को भारी नुकसान और नकदी नुकसान का सामना करना पड़ा है, और अपने निवेश पर काफी नकारात्मक आय अर्जित की है। इसलिए, घरेलू उद्योग को अपने लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

105. प्राधिकारी नोट करते हैं है कि घरेलू उद्योग को 2022-23 के बाद से भारी नुकसान हुआ है और इस अवधि के दौरान नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है। जांच की अवधि के दौरान भी घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग को नकदी घाटा भी झेलना पड़ रहा है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर पाटन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

106. यह देखा जाता है कि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत काफी कम रही है। आयात की कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत और बिक्री की लागत से कम थी। इससे घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकद घाटा हुआ है। संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है और कीमत वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा हुई होती। इस प्रकार, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

झ) पाटन की मात्रा

107. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी पाटन है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

छ.3.5. आगे अधिक क्षति का खतरा

108. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या आयात से घरेलू उद्योग को और क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क) आयातों में वृद्धि

109. यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। 2021-22 की तुलना में, आयात की मात्रा में 186% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष से अकेले संबद्ध आयात दोगुने से अधिक हो गए हैं। इस प्रकार, संबद्ध आयातों में तेजी से और जबरदस्त रूप से वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	14,607	27,541	18,249	41,719
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	189	125	286

ख) संबद्ध देश में पर्याप्त रूप से मुक्त रूप से निपटान योग्य और बेकार क्षमताएं

110. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए सूचना दी है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास 7,542 केटी की बड़ी उत्पादन क्षमता है। ऐसी क्षमताएं भारत में मांग से काफी अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने करने के लिए सूचना दी है कि संबद्ध देशों में उत्पादक अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे

हैं, और उनके पास बड़ी मुक्त रूप से निपटान योग्य बेकार क्षमताएं हैं। यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं भारत में मांग के लगभग 500% के बराबर हैं। यदि ऐसी बेकार क्षमताओं का उपयोग भारत को अतिरिक्त मात्रा निर्यात करने के लिए किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण बाजार के नुकसान होने की संभावना है।

आंकड़े केटी में

विवरण	**मात्रा**
संबद्ध देशों में कुल क्षमता	7,542
संबद्ध देशों में कुल उत्पादन	3,226
संबद्ध देशों में बेकार क्षमता	4,316
संबद्ध देशों में बेकार क्षमता (%)	57%
भारतीय मांग के संबंध में बेकार क्षमता (%)	500%

स्रोत: बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट (वुड मैकेंज़ी)

111. वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति है। जबकि 2024 में कुल वैश्विक मांग 6,097 केटी थी, कुल वैश्विक क्षमता 12,179 केटी थी। ऐसी अधिक आपूर्ति आक्रामक कीमत निर्धारण के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है, जिसमें पाटन भी शामिल है। इसके अलावा, चूंकि अन्य बाजार स्वयं आपूर्ति के संदर्भ में अलग हैं, इसका तात्पर्य यह है कि संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों के पास वैकल्पिक बाजारों तक पहुंच नहीं है।

ग) संबद्ध देशों की काफी निर्यातोन्मुखता

112. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के लिए मांग सीमित है और स्थापित क्षमताओं से कहीं कम है। नीचे दी गई तालिका से भी यही देखा जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों की क्षमता उनकी मांग से अधिक है, जो दर्शाती है कि उत्पादक अत्यधिक निर्यात उन्मुख हैं और क्षमताएं निर्यात के इरादे से हैं। ऐसी अतिरिक्त क्षमताएं भारत में मांग से लगभग 5 गुना से अधिक हैं।

आंकड़े केटी में

विवरण	मात्रा
संबद्ध देशों में कुल क्षमता	7,542
संबद्ध देशों में कुल मांग	3,122
मांग से अधिक क्षमता	4,420
संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमता (%)	59%
भारतीय मांग के संबंध में अतिरिक्त क्षमता (%)	512%

स्रोत: बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट(वुड मैकेंज़ी)

घ) नियोजित क्षमता विस्तार

113. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए भी सूचना प्रस्तुत की है कि संबद्ध देशों में मौजूदा अप्रयुक्त क्षमताओं के अलावा, उत्पादकों/निर्यातकों ने 2025-2029 के बीच और अधिक क्षमता विस्तार की योजना बनाई है, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है। इस तरह की क्षमता वृद्धि से अतिरिक्त डिस्पोजेबल अधिशेष पैदा होने की संभावना है, जिसका उपयोग भारत को निर्यात के लिए किया जा सकता है।

देश	उत्पादक	क्षमता (केटी)
चीन	नानटोंग कांगहुई पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड	600
चीन	झेजियांग युयु न्यू मैटेरियल्स	200
चीन	जियांग्सू शिंग्ये पॉलीटेक कंपनी लिमिटेड	197
चीन	झेजियांग शिंगफिंग (जियांग्सू)	125
चीन	जिआंग्सू श्वांगक्सिंग रंगीन प्लास्टिक नई सामग्री	120
चीन	यिंगकौ कांगहुई पेट्रोकेमिकल कं. लि	104
चीन	निंगबो चांगयांग टेक्नोलॉजी	100
चीन	शाओक्सिंग शियांगयू ग्रीन पैकिंग	100
चीन	अन्य उत्पादक	872
	कुल	2,419

स्रोत: बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट(वुड मैकेंज़ी)

ड. अन्य देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक और प्रशुल्क उपाय

114. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का निर्यात विभिन्न तीसरे देशों में व्यापार उपचारात्मक उपायों के अध्यधीन है।

देश	**उपाय**	**लगाने की तारीख**
इंडोनेशिया	चीन और थाईलैंड से बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीइथिलीन टेरेफ्थालेट फिल्मों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क	मूल रूप से दिसंबर 2015 में लगाया गया और मई 2021 में जारी रहा
ब्राज़ील	चीन से बीओपीईटी फिल्म सहित पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्मों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क	मूल रूप से मई 2015 में लगाया गया और मई 2021 में जारी रहा
यूएसए	चीन और यूएई से पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म के आयात पर पाटनरोधी शुल्क	मूल रूप से नवंबर 2008 में लगाया गया और सितंबर 2020 में जारी रहा

115. इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति का हवाला देते हुए चीन से पीईटी फिल्म के आयात पर 25% की सीमा तक धारा 301 टैरिफ लगाए हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चूंकि संबद्ध सामानों के लिए लगभग सभी प्रमुख निर्यात गंतव्य ने संबद्ध देशों से आयात पर उपाय लगाए हैं, ऐसे बाजार निर्यातकों के लिए व्यावहारिक रूप से बंद हैं। ऐसी स्थिति में, संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात करने की संभावना है।

च) भारत एक आकर्षक बाजार है

116. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबद्ध देशों से निर्यात प्रमुख उपभोक्ता देशों से प्रशुल्क और व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार का घाटा हुआ है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों में निर्यातक पहले से ही सीमित मांग और क्षमताओं की निष्क्रियता का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, भारत ऐसे उत्पादकों के लिए प्रमुख निर्यात बाजार होने की संभावना है। इस प्रकार, जल्द से जल्द शुल्क लागू न होने की स्थिति में, संबद्ध देशों के उत्पादक भारतीय बाजार में पाटन को तेज कर देंगे।

छ) संबद्ध आयात से उद्योग की कीमतों में और गिरावट या कमी आने की संभावना है

117. जांच की अवधि के दौरान, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे। शुल्क के अभाव में, कम आयात कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। इस प्रकार, आयात भारतीय बाजार में उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों पर और अधिक ह्रासमान या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे इसे और अत्यधिक हानियां होंगी।

छ.3.6 क्षति का समग्र मूल्यांकन

118. संबद्ध उत्पाद के आयात की जांच और घरेलू उद्योग के निष्पादन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि -

i. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से 186% की वृद्धि हुई है।

ii. संबद्ध आयात में भी भारतीय उत्पादन और घरेलू खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

iii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, और घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम कीमत पर हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने लागत में गिरावट की तुलना में अधिक दर पर अपनी कीमतें कम कर दीं, ताकि आयात कीमत से मेल खा सके, जो काफी कम रहा है। परिणामस्वरूप, संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की लागत का ह्रास/न्यूनीकरण किया है।

v. यद्यपि घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मात्रा 2023-24 तक बढ़ी, तथापि जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग की बिक्री जांच की अवधि के दौरान 8% तक मांग में वृद्धि के बावजूद, पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 7% तक कम हुई है।

vi. इस अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

vii. घरेलू उद्योग और संपूर्ण रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

viii. घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का निपटान करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची का ढेर लग गया है।

ix. घरेलू उद्योग को भारी नुकसान, नकदी की हानि का सामना करना पड़ा और इसने अपनी नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय अर्जित की।

x. आयात ने घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xi. आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xii. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

xiii. आयात में वृद्धि की अत्यधिक दर, विदेशी उत्पादकों के साथ उपलब्ध महत्वपूर्ण बेकार क्षमता, विदेशी उत्पादकों की अधिक निर्यातोन्मुखता, वैश्विक अति आपूर्ति की स्थिति, नियोजित क्षमता विस्तार, तीसरे देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक उपायों के लागू होने के साथ-साथ अतिरिक्त प्रशुल्क लगाने के कारण घरेलू उद्योग को और अधिक खतरा पैदा करने वाले पाटित आयात हैं।

119. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और आयात घरेलू उद्योग को और अधिक नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा कर रहे है।

छ.3.7 गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

120. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रात्मक और कीमत प्रभावों के मौजूदगी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों को छोड़कर नियमावली के तहत सूचीबद्ध किसी भी कारक के कारण माना जा सकता है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

121. यह ध्यान दिया जाता है कि उल्लिखित देशों को छोड़कर, ताइवान और अमेरिका को छोड़कर किसी अन्य देश से कोई महत्वपूर्ण आयात नहीं होता है। प्राधिकरण का मानना है कि ताइवान से हानिकारक आयात की मात्रा नगण्य है और इसलिए, घरेलू उद्योग को इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। इसके अलावा, अमेरिका से आयात में पूरी तरह से स्टॉक लॉट या बचा हुआ स्टॉक शामिल था, जो घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था और इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। इसलिए, यह नुकसान तीसरे देशों से आयात के कारण नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ गई है और मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

123. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं पाया गया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

124. यह नोट किया जाता है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई प्रमाण नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हों। यह भी नोट किया जाता है कि समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है और संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। इसलिए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते है कि घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

125. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च) उत्पादकता

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। अत: घरेलू उद्योग को इस कारण से कोई क्षति नहीं हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

127. ऊपर जाँची गई क्षति की सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

128. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है।

छ.3.8 <u>कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष</u>

129. यद्यपि नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों से हुई है।

i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी पाटन है।

ii. परिणामस्वरूप, क्षति की अवधि में पाटित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

iii. भारतीय खपत और उत्पादन के संबंध में आयात की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

iv. पाटित आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को अपने माल को लाभकारी कीमतों पर बाजार में बेचने से रोक दिया।

v. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, जबकि इस अवधि के दौरान आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

vi. घरेलू उद्योग में मालसूची का काफी संचयन हुआ क्योंकि वह बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ था।

vii. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

viii. कम कीमत वाले आयातों से कीमत वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा हुई होती, और घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर दिया है।

ix. घरेलू उद्योग को घाटे में बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और उसे नकदी का भी नुकसान उठाना पड़ा है।

130. इस प्रकार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

131. प्राधिकारी ने अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित अनंतिम रूप से सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति

मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। अनंतिम क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटियों के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं लगाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत निवल निश्चित संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व @ 22%) को नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी। जैसा कि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित है और उसका पालन किया जा रहा है।

132. विस्तृत सत्यापन होने तक निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है। सभी सहयेागी गैर-नमूनाकृत उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, नमूनाकृत उत्पादकों/निर्यातकों का भारित औसत पहुंच मूल्य लिया जाता है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

133. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	**उत्पादक**	**क्षतिरहित कीमत (यूएसडॉ./एमटी)**	**पहुंच कीमत (यूएसडॉ./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (रेंज)**
क.	**बंगलादेश**					
1.	एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2.	कोई अन्य	***	***	***	***	25-35
ख.	**चीन जन.गण.**					

1.	जियांग्सु कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
2.	कांगहुई नटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
3.	कांगहुई नटोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड (सामूहिक रूप से "कांगहुई समूह" के रूप में उल्लिखित)	***	***	***	***	30-40
4.	अन्य गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	15-25
5.	जियांग्सु कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
6.	अन्य गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादक	***	***	***	***	10-20
7.	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40
ग.	**थाइलैंड**					
1.	ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
2.	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50

झ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

134. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वे संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध करते हैं। इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि शुल्क लगाने से निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो बने नहीं रह पाएंगे।

झ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

135. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. शुल्क लगाने से निचले स्तर के प्रयोक्ताओं की लागत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह आम जनता के हित में होगा।

ii. पीईटी फिल्म चिप्स के एक पैकेट के वजन का केवल 25% है जो लगभग 4-5 ग्राम है। 30% तक के शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं की लागत पर केवल 5 पैसे या 0.2% का नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

iii. संबद्ध सामान निचले स्तर के प्रयोक्ताओं की लागत में एक प्रमुख हिस्सा नहीं बनाते हैं, और इस प्रकार, शुल्क लगाने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iv. 2001 से, पीईटी फिल्म के लिए भारतीय उद्योग 6 उत्पादकों से बढ़कर 18 घरेलू उत्पादकों तक पहुंच गया है जो 45 से अधिक उत्पादन लाइनों में 12,000 कर्मचारियों को रोजगार दे रहे हैं।

v. शुल्क लगाने से एक समान अवसर का सृजन होगा और घरेलू उद्योग को अपनी लागतों की वसूली करने और लाभप्रद कीमतों पर बेचने की अनुमति मिलेगी।

vi. भारतीय उद्योग के पास देश की पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, और इस प्रकार, आयात पूरी तरह से अनावश्यक हैं।

vii. भारतीय उद्योग के व्यवहार्यता संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है, जिन्होंने पिछले दो दशकों में मांग को पूरा करने के लिए काफी निवेश किए है और क्षमताएं बढ़ाई हैं।

viii. भारतीय उद्योग नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है जो अन्य वैश्विक उत्पादकों के बराबर है।

ix. भारतीय उद्योग पीईटी फिल्म के प्रकारों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है जिसका उपयोग सभी अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

x. एक उचित बाजार स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शुल्क लगाना अनिवार्य है, जहां भारतीय उत्पादक प्रतिस्पर्धा कर सकें और आत्मनिर्भर भारत नीति के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकें।

xi. यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो भारतीय उद्योग को लगातार नुकसान उठाना पड़ेगा जिससे अनावश्यक रूप से रोजगार का नुकसान हो सकता है।

xii. शुल्क लगाने से देश में विदेशी मुद्रा बचत में योगदान होगा।

xiii. भारतीय उत्पादकों के बीच अच्छी परस्पर प्रतिस्पर्धा है, जो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

xiv. प्रयोक्ता भारतीय उद्योग और अन्य देशों से आसानी से संबद्ध सामान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सामानों को उचित कीमतों पर संबद्ध देशों से आयात किया जा सकता है।

xv. शुल्क न लगाने से प्रयोक्ता निर्यात पर निर्भर हो जाएंगे जो निर्यातकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सुभेद्य हो जाएंगे।

xvi. पीईटी फिल्म पर शुल्क नहीं लगाने से कुवैत, सऊदी अरब और सिंगापुर से एमईजी आयात के पाटन के कारण एमईजी उद्योग को हो रही क्षति में ही वृद्धि होगी।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन सके। पाटनरोधी उपाय लगाना संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि, यह एक समान अवसर सुनिश्चित करने की एक प्रणाली है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकती है।

137. संबद्ध सामानों का मुख्य रूप से लचीले पैकेजिंग के निर्माण में प्रयोग किया जाता हैं, जिसका प्रयोग विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार, संबद्ध सामान अंतिम तैयार उत्पाद में एक प्रमुख लागत नहीं बनाते हैं, और संबद्ध सामानों की कीमत में परिवर्तन परिष्कृत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत को प्रभावित नहीं करेगा।

138. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि शुल्क लगाने से निचले स्तर के शुल्कों के प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शुल्क लगाने का निचले स्तर के प्रयोक्ताओं या अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि 30% तक पाटनरोधी शुल्क लगाया भी जाता है, तो भी इसका अंतिम प्रयोक्ताओं की लागतों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

139. यह नोट किया जाता है कि देश में 19 अन्य उत्पादक हैं, जो संबद्ध सामानों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों को विभिन्न तीसरे देशों से भी आयात किया जा सकता है, जो प्रयोक्ताओं के लिए सामानों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

140. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 2001 से, जब भारत में पीईटी फिल्म के केवल 6-8 उत्पादक थे, उद्योग ने काफी निवेश किया है और आज, भारत में लगभग 19 उत्पादक हैं। उद्योग के सभी संयंत्र नई तकनीक पर आधारित हैं और उद्योग उत्पादों की पूरी श्रृंखला पेश कर रहा है। नई क्षमता वृद्धि ने 12,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार पैदा किया है। इस प्रकार, ऐसे निवेशों की रक्षा करने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग का समर्थन करने की आवश्यकता है।

141. यह नोट किया जाता है कि देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है जिसके लिए देश में पाटित आयातों की आवश्यकता हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई काफी क्षमताएं हैं जो देश में वर्तमान और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

आंकड़े एमटी में

विवरण	**2024-25**
भारतीय मांग	8,63,953
भारतीय क्षमता	14,09,200
मांग-आपूर्ति अंतराल	-5,45,247

ञ. निष्कर्ष और सिफारिशें

142. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते है कि:

i. विचाराधीन उत्पाद 8-100 माइक्रोन की पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म या बाइसियाली ओरिएंटेड पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म है। सोलर पैनल में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म और थर्मल लैमिनेशन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

ii. पांच उत्पादक अर्थात चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैकमेट इंडिया लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 45% हिस्सा हैं, और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माने गए हैं। इस आवेदन-पत्र का 10 अन्य उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है। समर्थकों के साथ घरेलू उद्योग का कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 96% हिस्सा है।

iii. चीन जन.गण. से प्राप्त बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाओं पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने ऐसे निर्यातकों द्वारा किए गए मात्रा निर्यात के आधार पर 2 उत्पादक समूहों के नमूने का सहारा लिया है।

iv. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए अनुरोध दायर नहीं किया है, इसलिए चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, उचित समायोजन के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार किया गया है। चीन के नमूनाकृत

उत्पादकों के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अलग निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए, पाटन मार्जिन नमूनाकृत उत्पादकों के लिए निर्धारित मार्जिन के भारित औसत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

v. प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

vi. पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग बढ़ी है।

vii. यह अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के आयात के परिणामस्वरूप क्षति हुई है, जो निम्नलिखित से सिद्ध है।

क. क्षति की अवधि में, पूर्ण और सापेक्षिक रूप से, आयात की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई और जांच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।

ख. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं, और घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत से कम कीमत पर हैं।

ग. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई, जबकि आयात की पहुंच कीमत में गिरावट की प्रतिक्रिया में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई।

घ. घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, जबकि आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

ड. घरेलू उद्योग को अत्यधिक हानियां और नकद हानियां हुई हैं।

च. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक है।

छ. आयात ने घरेलू उद्योग की और अधिक पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

viii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति पहुंचाने का खतरा पैदा कर रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है।

क. संबद्ध आयात की मात्रा बढ़ती दर से बढ़ी है।

ख. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास काफी मुक्त रूप से निपटान योग्य और बेकार क्षमताएं हैं।

ग. संबद्ध देशों में उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।

घ. संबद्ध देशों में उत्पादकों ने अत्यधिक बेकार क्षमताओं और कम मांग के बावजूद क्षमता विस्तार की योजना बनाई है।

ङ. वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति की स्थिति है, जिससे भारत सुभेद्य बाजार बनता है।

च. संबद्ध देशों में उत्पादक तीसरे देशों में व्यापार उपचारात्मक उपायों और अतिरिक्त प्रशुल्क का सामना कर रहे हैं, जिससे उनका बाजार प्रतिबंधित हो गया है।

छ. आयात उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास होने की संभावना है।

ix. प्रत्येक संबद्ध देश के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

x. कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला नहीं दिखाई देता है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।

xi. पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में है और कुल मिलाकर सार्वजनिक हितों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

xii. शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं की लागत में काफी वृद्धि नहीं होगी।

xiii. संबद्ध सामानों का उपयोग उपभोक्ता सामानों के लिए पैकेजिंग के उत्पादन में किया जाता है, और इस प्रकार, अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए कोई प्रमुख लागत नहीं बनती।

xiv. देश में कोई मांग आपूर्ति अंतराल नहीं है, और भारतीय उद्योग के पास पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

xv. संबद्ध सामानों को विभिन्न तीसरे देशों से और उचित कीमतों पर संबद्ध देशों से आयात किया जा सकता है।

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक

सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूरी होने तक पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अनंतिम शुल्क लगाना आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक मानते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

144. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते है, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त किया जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर नियम 12 के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3920 6210, 3920 6220, 3920 6290, 3920 6919 और 3921 9094.	पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म*	बंगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	एकेआईजे बियाक्स फिल्म्स लिमिटेड	206	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	बंगला देश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 पर उल्लिखित को छोड़कर कोई भी उत्पादक	330	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	बांग्लादेश, चीन जन.गण., और थाईलैंड को छोड़कर कोई भी देश	बांग्लादेश	कोई भी उत्पादक	330	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	जियांग्सु कांगहुई न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड।	162	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कांगहुई नंतोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	162	एमटी	यूएसडॉ.

6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कांगहुई नंतोंग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	162	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	जिआंग्सू श्वांगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कं, लिमिटेड	56	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक, नीचे दी गई सूची के अनुसार **	135	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 4, क्र.सं. 5, क्र.सं. 6, क्र.सं. 7 और क्र.सं. 8 पर उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	216	एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	-वही-	बांग्लादेश, चीन जन.गण. और थाईलैंड को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	216	एमटी	यूएसडॉ.
11	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	ए.जे प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड	139	एमटी	यूएसडॉ.
12	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	क्र.सं. 11 पर उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	245	एमटी	यूएसडॉ.

13	-वही-	-वही-	बांग्लादेश, चीन जन.गण., और थाईलैंड को छोड़कर कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	245	एमटी	यूएसडॉ.

** विचाराधीन उत्पाद पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म या 8-100 माइक्रोन की द्विअक्षीय रूप से उन्मुख पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थालेट फिल्म है। सौर पैनलों में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म और थर्मल लैमिनेशन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है*

** <u>चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची</u>

i. फुजियान बिलियन हाई-टेक मैटेरियल्स इंड. कं. , लिमिटेड।

ii मेसर्स हांग्जो ग्रेट साउथईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू मटेरियल कं, लिमिटेड।

iii. शेडोंग शेंघे फिल्म्स न्यू मैटिरियल्स

145. उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्धारित अलग अलग शुल्क दरों के आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा दिनांकित और हस्ताक्षरित होगी, जिसकी पहचान उसके नाम और कार्य से की जाएगी, जो इस प्रकार तैयार की गई है:

> "'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (विचाराधीन उत्पाद के नाम की मात्रा) का निर्माण [संबंधित देश] में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।'"

146. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होंगे। यह शर्त, लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है ।

ट. आगे की प्रक्रिया

147. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

i. प्राधिकारी इन जांच परिणामों के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते है, और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।

ii. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच से संगत अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे। मौखिक सुनवाई की तारीख प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

iii. प्राधिकारी आवश्यक मानी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों का आगे सत्यापन करेंगे।

iv. प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्य प्रकट करेंगे।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी